निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 24/2024
दायरा दिनांकः– 29.04.2024
निर्णय दिनांकः– 26.8.25

उनवान

1. भैरूलाल आयु 70 वर्ष पुत्र पांच्या जाति कबाडी बैरवा व्यवसाय कृषि निवासी पुराने अस्पताल के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. नसीम बानो पुत्री हबीबुल्ला खां जाति मुसलमान निवासी टोक (राज0)
2. रूबीना मुमताज पुत्री हबीबुल्ला खां जाति मुसलमान निवासी टोक (राज0)
3. राशि खां (राशीद) पुत्र हबीबुल्ला खां जाति मुसलमान निवासी टोक (राज0)
4. शाहिना बानो पुत्री हबीबुल्ला खां जाति मुसलमान निवासी टोक (राज0)
5. असीम अली आयु 28 वर्ष पुत्र सय्यद ताहिर अली जाति मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 एवं

निर्णय दिनांकः– 26.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री चिंरोजीलाल भार्गव – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल छबडा की कृषि भूमि खाता संख्या 545 खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.4300 है0 का प्रार्थी स्वामी मालिक एवं खातेदार कृषक है जिस पर विगत 100 वर्षो से भी अधिक समय से अर्थात् प्रार्थी के स्वर्गीय पिता पाच्या पुत्र मांगीलाल के जीवनकाल से ही आराजी का स्वामी मालिक एंव काबिज है। वर्तमान में भी आराजी प्रार्थी के ही स्वामित्व एवं कब्जे क़ाश्त में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि वक्त सेटलमेनट से राजस्व रिकार्ड में रिज्यूम साहबजादा हबीबुल्ला खां सा0 टोंक पांच्या, मांग्या कबाडी छबडा दर्ज चला आ रहा है पिता पांच्या की मृत्यु के उपरान्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी भैरूलाल का नाम दर्ज हुआ है। राजस्व रिकार्ड में रिज्यूम (माफी) जैसा कोई शब्द नही है। उपरोक्त वर्णित आराजी पर हबीबुल्ला खां अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कोई हित या अधिकार नही है राजस्थान सरकार के द्वारा भी रिज्यूम (माफी) जैसा कोई शब्द नही है। आराजी पर कब्जे के आधार पर ही रिज्यूम साहबजादा हबीबुल्ला खां खाते से हटाया जाना नितान्त आवश्यक था किन्तु तब से ही उपरोक्त रिज्यूम शब्द खाते मे दर्ज है जिसे हटाया जाना वैधानिक कानूनी तौर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

पर उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा अपने आप को हबीबुल्ला खां का उत्तराधिकारी उल्लेखित करते हुए आराजी को तहसीलदार छबडा से अवैधानिक तौर पर कार्यवाही करवाकर हबीबुल्ला खां को मृतक बताते हुए अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि राजस्व रिकार्ड में हबीबुल्ला खां कि पिता का नाम भी दर्ज नही है इसका अवैधानिक तौर पर लाभ उठाकर यह कार्यवाही की गई है। जिसके सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही विचाराधीन है। उपरोक्त अवैधानिक कृत्य पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा अप्रार्थी क्रम 5 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर सहखातेदार दर्ज करवाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाकर भूमि को बेचान करने एवं खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया जा सके। इस कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या 6 के द्वारा भी अन्य अप्रार्थीगण को भी सहयोग किया जा रहा है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 5 राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने का भी प्रयास किये जाने की सम्भावना है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपने स्वामित्व एवं मालिकाना अधिकार की भूमि से वंचित होना पडेगा प्रार्थी को भारी क्षति एवं नुकसान होगा। उपरौक्त वर्णित विक्रय पत्र दिनांक 12.12.2023 पूर्णरूपेण अवैधानिक एवं गैर कानूनी तौर पर निष्पादित किया गया है। जो पूर्णरूपेण प्रभावी शुन्य एवं बेअसर किये जाने के काबिल है। अप्रार्थी क्रम 5 के द्वारा दी गई उपरोक्त धमकी दिनांक 20.04.2024 से मुझ वादी को पूर्णरूपेण आशंका हो चुकी है कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी संख्या 5 के द्वारा आराजी को अपने खाते दर्ज करवाकर प्रार्थी को आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया जायेगा साथ ही भूमि को बेचान ककर खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया जावेगा। उक्त धमकी दिनांक 20.04.2024 को अप्रार्थीगण के द्वारा वादी को दी गई तो प्रार्थी से लडाई–झगडा करने की धमकी कब्जा करने की धमकी, एवं खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। एतद द्वारा विनाय दावा दिनांक 20.04.2024 को उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी है जिसका सहायता सन्तुलन बहक प्रार्थी है यदि प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के हक में राजस्व रिकार्ड मं खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये अथवा प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा अन्य हाथों में खुर्द–बुर्द कर दिया गया बेचान कर दिया गया अथवा उपरोक्त वर्णित वाद ग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आर्थिक रूप से पूर्ति होना कतई सम्भव है। प्रार्थी को गैर जरूरी मुकदमें बाजी में उलझकर जेरबार होना पडेगा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 540 नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 545 न्यायालय तहसीलदार छबडा का निर्णय दिनांक 08.05.2023, नकल न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां आदेश दिनांक 02.02.2024 एवं अपील भैरूलाल बनाम राशीद अली पेश की गई। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.12.2023 नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2017 से 20 खाता संख्या 293,नकल अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 20222–25 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2034–37 पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में छाया प्रति नकल निर्णय दिनांक 08.05.2023 न्यायालय तहसीलदार छबडा छाया प्रति नकल निर्णय 06.08.2024 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां छाया प्रति आदेश न्यायालय एस.डी.एम छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

दिनांक 24.12.2024 छाया प्रति रिपोर्ट तहसीलदार छबडा दिनांक 07.10.2024 छाया प्रति रिपोर्ट पटवारी दिनांक 06.09.2024 छाया प्रति मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2012 से 2031 छाया प्रति नकल जमाबन्दी छबडा सम्वत् 2004 छाया प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2032 छाया प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम छबडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसका प्रार्थी स्वामी मालिक एवं खातेदार कृषक है जिस पर लगभग 100 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थी के स्वर्गीय पिता पांच्या पुत्र मांगीलाल के जीवनकाल से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त करतें चले आ रहे है उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट के समय से रिज्यूम साहबजादा हबीबुल्ला खां सा0 टोक पांच्या मांग्या, कबाडी छबडा दर्ज चला आ रहा है। पांच्या की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि पर प्रार्थी भैरूलाल का नाम दर्ज हुआ। विवादित आराजी पर हबीबुल्ला खां अथवा किसी अन्य व्यक्ति का हित व अधिकार नही है आराजी से कब्जे के आधार पर रिज्यूम साहबजादा हबीबुल्ला खां को खाते से हटाया जाना नितान्त आवश्यक था। किन्तु उपरौक्त रिज्यूम शब्द खाते में दर्ज है जिसे हटाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने आप को हबीबुल्ला खां का उत्तराधिकारी मानतें हुए उक्त आराजी को तहसीलदार छबडा से अवैधानिक तौर पर कार्यवाही करवा कर हबीबुल्ला खां को मृतक बता कर अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि राजस्व रिकार्ड में हबीबुल्ला खां के पिता का नाम भी दर्ज नही है। उपरोक्त अवैधानिक कृत्य कर अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के द्वारा अप्रार्थी क्रम 5 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन करवा कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर सहखातेदार दर्ज करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थी क्रम 5 राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास किये जाने कि सम्भावना है। अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। विवादित आराजी माफी साहबजादा हबीबुल्ला खां निवासी टोंक के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी। उनके स्वर्गवास के बाद अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 ने अपने पिता के स्वर्गवास के पश्चात् न्यायालय तहसीलदार छबडा में विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई जिसका निर्णय 08.05.2023 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता हबीबुल्ला खां पुत्र हमीदुल्ला खां के स्थान पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गयें। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी भैरूलाल द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां के यह अपील प्रस्तुत की थी जो दिनांक 06.08.2024 को खारिज की जा चुकी है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता एवं अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी अन्य किसी भी व्यक्ति को बेचान नही किया गया है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉ (राज.)

2074–77 खाता संख्या 540 में रिज्यूम साहबजादा हबीबुल्ला खां सा0टोंक मैरूलाल पुत्र पांच्या कबाडी सा0देह दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 545 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 का बतौर खातेदार नाम दर्ज है न्यायालय तहसीलदार छबडा के आदेश दिनांक 08.05.2023 के अनुसार मृतक हबीबुल्ला के वारिसान के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज करने का आदेश दिये गये थे। तहसीलदार छबडा के निर्णय अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना पाया जाता है। मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 12.12.2023 से अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा विवादित भूमि मे अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा असीम अली पुत्र सैय्यद ताहिर अली निवासी छबडा को बेचान किया गया नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2017–20 में पांच्या बेटा मांग्या जाति कबाडी का नाम बतौर कृषक दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022–25 एवं सम्वत् 2034–37 में पांच्या बेटा मांग्या द्वारा काश्त किया जाना दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता है कि विवादित आराजी पर प्रार्थी के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है विवादित भूमि माफी रिज्यूमशन दर्ज होने के बाद भी विवादित भूमि का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा असीम अली पुत्र सैय्यद ताहिर अली को बेचान कर दिया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिकारों का निर्धारण साक्ष्य/सबूतों के आधार पर मूल वाद में किया जाना है तब तक वाद बहुलता को रोकने एवं मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द करने हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:- क्रियात्मक आदेश :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.4300 है0 पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा